चंद्रकांत हरगोविंदा शाह

बनाम

पुलिस उपायुक्त एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 3243/2009)

5 मई 2009

[एस.बी. सिन्हा और साइरियक जोसेफ, जे.जे.]

शस्त्र अधिनियम, 1959/शस्त्र नियम, 1962:

धारा 3, 17/अनुसूची III - शस्त्र लाइसेंस - जारी करना - निशानेबाजी के खेल में शामिल खिलाड़ियों को दो लाइसेंस जारी करना - खिलाड़ियों द्वारा हथियारों की खरीद और बाद में बिक्री - दोनों लाइसेंस रद्द करना - अपीलीय प्राधिकारी ने एक लाइसेंस बहाल किया - रिमांड पर, अपीलीय प्राधिकारी ने दोनों लाइसेंसों को रद्द करने का निर्देश दिया - उसके खिलाफ रिट याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई - अपील पर, निर्धारित : अपीलकर्ता सप्रेसियो वेरी के साथ-साथ गलत सुझाव का भी दोषी है - लेनदेन की आवृत्ति को देखते हुए, वैधानिक अधिकारियों को रद्द करना उचित था लाइसेंस - हालाँकि,अपीलकर्ता से किसी भी लाइसेंस के अनुदान पर विचार करने का अनुरोध किया जाता है ताकि अपीलकर्ता को कानून में अनुमत नियमों और शर्तों पर अपनी खेल गतिविधियों को पूरा

करने में सक्षम बनाया जा सके, बशर्ते कि आवेदन कानून के अनुसार किया गया हो।

अपीलकर्ता 1988 से शूटिंग के खेल में लगा हुआ है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग स्पर्धाओं में भाग लेता रहा है। उन्हें रिवॉल्वर/पिस्तौल और बंदूक/राइफल के दो लाइसेंस दिए गए थे। 2001 से 2005 के बीच 26 मौकों पर उसने विभिन्न हथियार और कारतूस आयात किए थे।

अपीलकर्ता को इस आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि उसने विदेश से आयातित हथियारों को स्थानांतरित किया था और इस प्रकार अपने लाइसेंस का दुरुपयोग किया था। अपीलकर्ता ने उत्तर दिया कि उक्त लेनदेन केवल लाइसेंस प्राधिकारी से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किए गए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि चूंकि कुछ हथियारों के माध्यम से सटीकता हासिल नहीं की जा सकती थी, इसलिए उन्हें बेहतर हथियार खरीदने के लिए उन्हें बेचना पड़ा। हालाँकि, लाइसेंस रद्द कर दिए गए। अपील पर, अपीलीय प्राधिकारी ने एक लाइसेंस के संबंध में रद्दीकरण आदेश को बरकरार रखा, लेकिन दूसरे लाइसेंस की बहाली का निर्देश दिया। अपीलकर्ता ने एक रिट याचिका दायर की और उच्च न्यायालय ने मामले को अपीलीय प्राधिकारी को इस आधार पर भेज दिया कि अपीलकर्ता को एक लाइसेंस देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं

बताया गया था। अपीलीय प्राधिकारी ने अपीलकर्ता के दोनों लाइसेंस रद्द करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरुद्ध रिट याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। इसलिए वर्तमान अपील ।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए यह अभिनिर्धारित किया

1. शस्त्र नियम, 1962 की अनुसूची III के संदर्भ में लाइसेंस 22 अलग-अलग रूपों में और उसमें निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दिए जाते हैं। निर्विवाद रूप से, फॉर्म III के तहत लाइसेंस का अनुदान स्व-उपयोग के उद्देश्य से है। अपीलकर्ता ने स्वयं तर्क दिया है कि उसका इरादा एक खिलाड़ी के रूप में हथियारों और गोला-बारूद का उपयोग करने का था। [पैरा 16] [905-ए-बी]

2. इसमें किसी भी प्रकार का संदेह या विवाद नहीं हो सकता है कि किसी लाइसेंसधारी द्वारा हथियारों और गोला-बारूद की बिक्री और खरीद निषिद्ध नहीं है। लेकिन उक्त अधिनियम के प्रावधानों और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए अलग-अलग उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के लाइसेंस दिए जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक लाइसेंसधारी को अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसे वह सीधे नहीं कर सकता है। [पैरा 17] [905-सी-डी]

3. अपीलकर्ता के पास लाइसेंस रहने की अवधि के दौरान उसने कम से कम 39 बार हथियार बेचे। अपने कारण बताओ और विशेष अनुमति

याचिका के आधार 'जी' में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया था कि उसने हथियार केवल एक बार आयात किए थे दरअसल, उसने कम से कम 26 मौकों पर हथियारों का आयात किया था। इसलिए, वह झूठी गवाही का दोषी है। [पैरा 18] [905-जी-एच; 906-ए]

दिलीप एन. श्रॉफ बनाम संयुक्त आयकर आयुक्त मुंबई (2007) 6 एससीसी 329, पर भरोसा किया गया।

"ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी" (5 वां संस्करण), संदर्भित।

4. रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि अपीलकर्ता ने बड़ी संख्या में एयर राइफल और एयर पिस्तोल का आयात किया था, हालांकि वह उक्त हथियारों के उपयोग की आवश्यकता में भी भाग नहीं ले रहा था। यही हाल उन खिलौनों के हथियारों का भी है जो एक खिलाड़ी के रूप में उनके किसी काम के नहीं थे। [पैरा 20] [906-डी-ई]

5.1. यह सच हो सकता है कि अपीलकर्ता ने तीसरे पक्ष के पक्ष में हथियार हस्तांतरित करने से पहले अनुमति प्राप्त की थी, लेकिन निर्विवाद रूप से, क्योंकि उसने बड़ी संख्या में लेनदेन में प्रवेश किया था, लाइसेंसिंग प्राधिकारी यह अनुमान लगाने का हकदार था कि वह वास्तव में और वास्तविक रूप से हथियार खरीद रहा था। यह उसके स्वयं के उपयोग के लिए था जो कि लाइसेंस देने के लिए आवश्यक नहीं था। [पैरा 21] [906-ई-एफ]

5.2. बड़ी संख्या में मौकों पर उसने खरीद के कुछ दिनों के बाद ही हथियार बेच दिए थे। इसलिए, इस तर्क को समझना मुश्किल है कि एफ अपीलकर्ता को हथियार केवल इसलिए बेचने पड़े क्योंकि अभ्यास में उसने पाया कि हथियारों की सटीकता का स्तर खराब हो गया था। मामले का एक और पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। यह कहने की बात हो सकती है कि वह उन कंपनियों द्वारा निर्मित हथियार खरीद रहा था जिसके लिए उसके पास हथियार कंपनी की प्रभावकारिता का परीक्षण करने का अवसर था, लेकिन अपीलकर्ता के अनुसार भी उसने पुराने हथियार खरीदे थे। सेकेंड हैंड में हथियारों के लेन-देन में प्रवेश करने से पहले, यह अपेक्षित हैकि क्रेता यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानियां बरतेगा कि यह उसके लिए उपयोगी होगा। [पैरा 21] [906-एफ-एच; 907-ए-बी]

5.3. लेन-देन की आवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि वैधानिक अधिकारियों द्वारा लाइसेंस रद्द करने का विवादित आदेश पारित करना उचित था। [पैरा 22] [907-बी-सी]

6. आमतौर पर इस प्रकृति के मामले में, यह न्यायालय मामले को लाइसेंसिंग प्राधिकारी को वापस भेज देता है ताकि अपीलकर्ता अपनी सद्भावना के संबंध में या अन्यथा लेनदेन के संबंध में इसे संतुष्ट करने में सक्षम हो सके, लेकिन, इसे ध्यान में रखते हुए मामले के विशिष्ट तथ्यों

और परिस्थितियों के आधार पर, इस न्यायालय की राय है कि यह एक निरर्थक प्रयास होगा। यह न्यायालय, जैसा कि सर्वविदित है, कोई भी आदेश पारित नहीं करेगा जो वैधानिक प्राधिकारी को केवल बेकार औपचारिकताओं का पालन करने के लिए मजबूर करेगा। हालाँकि, अपीलीय प्राधिकारी से इस प्रश्न पर विचार करने का अनुरोध किया गया है कि क्या अपीलकर्ता को, एक खिलाड़ी होने के नाते, कोई लाइसेंस दिया जा सकता है ताकि वह अपनी खेल गतिविधियों को करने में सक्षम हो सके। ऐसा लाइसेंस ऐसे नियमों और शर्तों पर दिया जा सकता है जो कानून में स्वीकार्य हैं, बशर्ते कि आवेदन कानून के अनुसार किया गया हो। [पैरा 23] [907-सी-एफ]

केस कानून संदर्भ:

(2007) 6 एससीसी 329 पर निर्भर पैरा 18

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3243/2009

बॉम्बे उच्च न्यायालय रिट याचिका संख्या 1809/2006 में के निर्णय और आदेश दिनांक 06.2.2007 से।

अपीलकर्ता की ओर से सिद्धार्थ दवे, जेमतिबेन और विभा दत्ता

उत्तरदाताओं की ओर सें माधवी दीवान, रवीन्द्र केशवराव एडसुरे के लिए

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. शस्त्र अधिनियम, 1959 (संक्षेप में, 'अधिनियम') के प्रावधानों की व्याख्या से जुड़ा एक जटिल प्रश्न इस अपील में निर्धारण के लिए आता है, जो बम्बई उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित 06 फरवरी 2007 के फैसले और आदेश से उत्पन्न होता है।

3. यहां अपीलकर्ता एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था जो 1988 से शूटिंग के खेल में शामिल था और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग स्पर्धाओं में भाग लेता रहा है। उन्हें छोटे बोर 10 मीटर राइफल और पिस्टल, 25 मीटर सभी पिस्टल इवेंट, 50 मीटर राइफल इवेंट, 12 बोर ट्रैप और स्कीट इवेंट और 300 मीटर राइफल इवेंट की श्रेणियों में लगातार "प्रसिद्ध शॉट" के प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है।

4. निर्विवाद रूप से, महाराष्ट्र सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ में 25 जून 1982 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें लक्ष्य निशानेबाजों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। इसके अलावा इसमें लक्ष्य निशानेबाजों के पास रखने के लिए अनुमत हथियारों और गोला-बारूद की मात्रा भी निर्दिष्ट की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता 25 जून 1982 की उक्त अधिसूचनाकी श्रेणी 3 में आता है, उसे दो लाइसेंस दिए गए, अर्थात् 4 रिवॉल्वर/पिस्तौल के लिए लाइसेंस संख्या बीओ/50/अक्टूबर/90 और

लाइसेंस संख्या बीओ। /50ए/अक्टूबर/90 वर्ष 1990 में 5 बंदूक/राइफल के लिए।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि 1996 से 2005 की अवधि के दौरान, उन्होंने 36 बार राइफलें और पिस्तौलें खरीदी और बेचीं, जिनका विवरण इस प्रकार हैः-

क्र.स.	खरीद तिथि	विक्रय तिथि	हथियार प्रकार	हथियार का विवरण
01	27.08.96	20.07.01	.315 राइफल	.315 राइफल न.94 एबी 4205
02	28.02.97	16.06.97	30.06 राइफल	30.06 राइफल न. 374182 स्प्रिंग फिल्ड की
03	28.03.98	28.04.99	.22 राइफल	.22 राइफल न.804309 ब्रुनो की
04	15.07.98	23.09.98	.22 राइफल	.22 राइफल न.068207 आस्वित्ज की
05	05.10.98	16.10.98	.32 पिस्टल	.32 पिस्टल न.387437 युनिक की
06	12.10.98	20.10.98	.32 रिवाल्वर	.32 रिवाल्वर न.एबीएस 4982 स्मिथ एवं वासून की
07	02.11.98	28.04.99	.22 पिस्टल	.22 पिस्टल न.जी25027 हेम्मरली की

08	02.12.98	25.11.99	.22 राइफल	.22 राइफल न.एसी/केबी/667/102/77
09	09.07.99	15.07.99	.32 पिस्टल	.32 पिस्टल न.672901 एस्ट्रा की
10	09.07.99	16.07.99	.32 पिस्टल	.32 पिस्टल न.27402 हेरिंगटन की
11	01.09.99	22.11.99	.22 पिस्टल	.22 पिस्टल न.89216
12	25.08.99	07.09.99	.22 राइफल	.22 राइफल न.105022 ब्रुनो की
13	31.08.99	07.09.99	.22 राइफल	.22 राइफल न.109617 ब्रुनो की
14	27.09.99	28.09.99	.22 राइफल	.22 राइफल न.95952 ब्रुनो की
15	27.09.99	30.09.99	.22 राइफल	.22 राइफल न.87431 ब्रुनो की
16	27.10.99	19.11.99	.22 राइफल	.22 राइफल न.35310 एफएन बाउनिंग की
17	01.11.99	18.04.00	.22 राइफल	.22 राइफल न.223058 आस्वित्ज की
18	05.11.99	12.11.99	.32 रिवाल्वर	.32 रिवाल्वर न.607020 टौरूस

				की
19	24.11.99	20.06.00	.22 पिस्टल	.22 पिस्टल न.307126 एरमा की
20	20.12.99	28.04.00	12 बोर डीबीबीएल गन	12 बोर डीबीबीएल गन न.187742 सिम्सन की
21	05.08.00	13.11.03	.22 राइफल	.22 राइफल न.96818 एफएन आस्वित्ज की
22	16.09.00	26.09.01	.22 पिस्टल	.22 पिस्टल न.27597 हेमरली की
23	18.01.01	20.01.01	.32 रिवाल्वर	.32 रिवाल्वर न.एच 112351 स्मिथ एवं वासन की
24	14.12.01	19.04.02	.22 राइफल	.22 राइफल न.468146 ब्रुनो की
25	22.02.02	16.10.02	12 बाेर डीबीबीएल गन	12 बोर डीबीबीएल गन न.27501 डब्ल्यु डब्ल्यु ग्रीनर की
26	01.08.02	28.08.02	.45 पिस्टल	.45 पिस्टल न.सी 14987 कोल्ट की
27	17.09.02	08.01.03	.22 पिस्टल	.22 पिस्टल न.जी007938 वाल्थर की
28	04.03.03	27.05.0	.38 पिस्टल	.38 पिस्टल न.12548 कोल्ट की

		5		
29	10.06.03	30.09.03	.45 पिस्टल	.45 पिस्टल न.2087341 इथाका की
30	28.11.03	26.09.01	.22 पिस्टल	.22 पिस्टल न.27595 हेमरली की
31	20.02.04	19.08.04	.122 पिस्टल	.122 एलआर बैरल पिस्टल न.99286 विथ कन्वर्जन बैरल्स
32	09.06.92	12.01.99	30.06 राइफल	30.06 राइफल न.139853 विन्चेस्टर की
33	07.06.92	23.09.98	.22 राइफल	.22 राइफल न.162302 आस्वित्ज की
34	28.02.94	15.07.98	25/35 राइफल	25/35 राइफल न.984490 विन्चेस्टर की
35	29.05.92	18.09.96	12 बोर डीबीबीएल गन	12 बोर डीबीबीएल गन न.8127 फ्लिक्स की
36		31.12.99	एमएल गन	एम एल गन न.14

ऐसा भी प्रतीत होता है कि 2001 से 2005 के बीच 26 मौकों पर उसने विभिन्न हथियार और कारतूस आयात किये थे। हालाँकि, 26.11.1991 और 15.10.2004 के बीच की अवधि के दौरान, उन्होंने विभिन्न राज्य और राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप की 18 स्पर्धाओं में भाग लिया था।

6. अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर कि उन्होंने लाइसेंस का दुरुपयोग किया है, विदेश से आयातित हथियारों को 39 बार स्थानांतरित करके अपने उपरोक्त प्रमाणपत्रों का अनुचित लाभ उठाया है, लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा उन्हें 20 जनवरी 2005 को या उसके आसपास एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। यह बताते हुए:

> "आप जानते हैं कि उपरोक्त दोनों हथियारों की अनुमति आपको एक प्रसिद्ध शॉट के रूप में दी गई है। हालाँकि, इस कार्यालय के रिकॉर्ड को सत्यापित करने पर, यह देखा गया है कि आप अपने प्रसिद्ध शॉट का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और आपका विदेशों से हथियार आयात करना बहुत ही आसानी से होता है और इन हथियारों का उपयोग आप प्रसिद्ध शॉट के लिए कर रहे हैं और उसके बाद आप इन हथियारों को बेच रहे हैं और बेच चुके हैं। ऐसा देखा गया है कि अब तक आप कुल 39 बार इन हथियारों को बेच चुके हैं।
>
> आपके पास महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी नमूना फॉर्म XII हथियार बिक्री/खरीद (डीलरशिप लाइसेंस) नहीं है। केवल इस आधार पर कि आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप उपरोक्त लाइसेंसों का दुरुपयोग कर रहे हैं और बिक्री/खरीद

व्यवसाय कर रहे हैं और यह इस कार्यालय द्वारा देखा गया है, इसलिए उपरोक्त लाइसेंस रद्द करना बेहतर होगा।

परन्तु, उपरोक्त कृत्य करने से पहले, मैं, रजनीश शेठ, उप. पुलिस आयुक्त (मुख्य कार्यालय) और हथियार अधिनियम, 1959 और मैं एक अधिकृत अधिकारी हूं, मुझे हथियार अधिनियम, 1959 की धारा 17 के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार आपके उपरोक्त हथियारों का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं करना चाहिए। इसलिए, मैं आपको यह कारण बताओ नोटिस दे रहा हूं और साथ ही मैं आपको अपना संतुष्ट उत्तर लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए 20 दिन का समय दे रहा हूं।

यदि आपका उत्तर ऊपर निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो इस प्राधिकरण को एक पक्षीय निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी, जिसपर कृपया ध्यान दें।''

7. अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए विस्तृत कारण बताओ दायर किया:

"यह गलत है, मैंने 1999 में केवल एक फायर आर्म्स टारगेट राइफल (स्टेयर राइफल) का आयात किया है और आज तक यह मेरे हथियार लाइसेंस पर है।

मुझे 1990 से टारगेट शूटिंग खेलों के लिए 5 गन/राइफल और 4 रेव/पिस्तौल का लाइसेंस दिया गया है (कुल 9)।

और अब तक मैंने 39 बार (15 साल में) सेल परचेज किया है जो मैंने भारत से ही खरीदा है। यह सभी इस्तेमाली/द्वितीय मालिक के हैं और यदि यह लक्ष्य शूटिंग खेल के लिए उपयुक्त था तो मैं इसे रख रहा था या परीक्षण के बाद या अभ्यास कर रहा था यदि यह मुझे सूट नहीं करता था, तो मैं आपकी बिक्री अनुमति के साथ हथियार लाइसेंस धारक को इसका निपटान कर रहा था और मैं खरीद की अवधि पूछ रहा था अपनी पसंद का हथियार खरीदने के लिए।"

8. उसके अनुसार, उसने लाइसेंसिंग प्राधिकारी से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही उक्त लेनदेन में प्रवेश किया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चूंकि कुछ हथियारों के माध्यम से सटीकता हासिल नहीं की जा सकती थी, इसलिए उन्हें बेहतर हथियार खरीदने के लिए उन्हें बेचना पड़ा।

9. दिनांक 04 अप्रैल 2005 के एक आदेश द्वारा, प्रथम प्रतिवादी नें,हालाँकि, यह कहते हुए उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया:

"आप जानते हैं कि उपरोक्त दोनों हथियारों की अनुमति आपको एक प्रसिद्ध शॉट के रूप में दी गई है। हालाँकि, इस कार्यालय के रिकॉर्ड को सत्यापित करने पर, यह देखा गया है कि आप अपने प्रसिद्ध शॉट का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और आप विदेशों से बहुत आसानी सें हथियार आयात कर रहे है और इन हथियारों का आपके द्वारा प्रसिद्ध शॉट के लिए उपयोग किया जा रहा है और उसके बाद आप इन हथियारों को बेच रहे हैं और बेच चुके हैं। देखा गया है कि अब तक आप कुल 39 बार ये हथियार बेच चुके हैं.

आपके पास महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी नमूना फॉर्म XII हथियार बिक्री/खरीद (डीलरशिप लाइसेंस) नहीं है। केवल इस आधार पर कि आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, आप उपरोक्त हथियारों और लाइसेंसों का दुरुपयोग कर रहे हैं और इस कारण से इस कार्यालय द्वारा आपको कारण बताओ नोटिस संख्या 533/2005 दिनांक 20/01/2005 दिया गया था।''

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस का आपने दिनांक 19/02/2005 को उत्तर दे दिया है। हालाँकि, आपके उत्तर में कहा गया है कि 'ये हथियार अब प्रतिस्पर्धा के लिए उपयुक्त नहीं हैं और इसलिए, इन्हें बेच दिया गया।' आपकी कही गई बात एवं कथन निराधार है। आपके पास फॉर्म XII का

नमूना नहीं है, यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किया गया हथियार बिक्री/खरीद व्यवसाय लाइसेंस (डीलरशिप लाइसेंस) है, केवल इस बिंदु पर कि आप प्रसिद्ध हैं, ये लाइसेंस आपको पेश किए गए थे लेकिन आपने इसका दुरुपयोग किया है और इसे मंजूरी दे दी गई है। आप हथियारों की बिक्री/खरीद का व्यवसाय कर रहे हैं और इसलिए, उपरोक्त लाइसेंस को रद्द करने के लिए, मैं निम्नानुसार आदेश पारित कर रहा हूं:-

आदेश

1, डॉ. संजय अप्रांति - उप. पुलिस आयुक्त, मुख्यालय, एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में और हथियार अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार और अपनी शक्तियों और अधिकार का उपयोग करके, हथियार लाइसेंस संख्या बीओ/50/अक्टूबर को रद्द कर रहा हूं। /90 और बीओ/50ए/अक्टूबर/90 तत्काल प्रभाव से श्री चंद्रकांत एच. शाह को दिया गया। उपरोक्त दोनों लाइसेंस और संबंधित हथियार शस्त्र अभिरक्षा में जमा कराए जा सकते हैं। यही आदेश है।"

10. अधिनियम की धारा 18 के संदर्भ में राज्य सरकार के समक्ष उसके खिलाफ अपील की गई थी। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री, जो नामित अपीलीय प्राधिकारी थे, ने 17 अक्टूबर 2005 के एक आदेश द्वारा एक लाइसेंस के संबंध में रद्द करने के आदेश को बरकरार रखते हुए लाइसेंस संख्या बीओ-50ए/अक्टूबर/90 को बहाल करने का निर्देश दिया।

11. इससे व्यथित और असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलीय प्राधिकारी का आदेश सकारण नहीं था, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 17 जनवरी 2006 के आदेश के आधार पर उक्त आदेश को रद्द कर दिया और मामले को अपीलीय प्राधिकारी को भेज दिया। यह आधार कि अपीलकर्ता को एक लाइसेंस देने से इनकार क्यों किया जा रहा है, इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। हालाँकि, 19 जून 2006 के एक आदेश के कारण, अपीलीय प्राधिकारी ने अपीलकर्ता के दोनों हथियार लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया और इस तरह प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा पारित 04 अप्रैल 2005 के आदेश की पुष्टि की।

12. अपीलकर्ता द्वारा इसके खिलाफ एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसे आक्षेपित निर्णय के कारण खारिज कर दिया गया है।

13. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सिद्धार्थ दवे का कहना है कि प्रतिवादी नंबर 1, अपीलीय प्राधिकारी और उच्च न्यायालय ने भी गंभीर त्रुटि की है क्योंकि वे हथियारों की खरीद और बिक्री पर विचार करने में विफल रहे। लाइसेंस की शर्तों के तहत निषिद्ध नहीं होने और लाइसेंसिंग प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त कर किए गए लेनदेन के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता नें लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है। यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता एक खिलाड़ी है,

जिसे अस्वीकार या विवादित नहीं किया गया है, उसे अपने हथियार रखने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वह राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने में सक्षम हो सके।

14. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री माधवी दीवान नें तर्क दिये कि:

प्रथम. बार-बार बिक्री या खरीद के लिए अपीलकर्ता द्वारा हथियारों के अत्यधिक उपयोग को वास्तविक औचित्य नहीं कहा जा सकता है।

द्वितीय. लाइसेंस की बार-बार बिक्री अपीलकर्ता को दिए गए लाइसेंस की मूल भावना के विपरीत है।

तृतीय. अपीलकर्ता ने सप्रेसियो वेरी और सजेस्टियो फाल्सी का सहारा लिया है क्योंकि उसने याचिका के ग्राउंड 'सी' में तर्क दिया है कि उसे नए हथियार खरीदने की आवश्यकता है ताकि वह प्रतियोगिताओं में भाग लेने और बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम हो सके क्योंकि हथियार की सटीकता खराब हो जाती है। उनका उपयोग बंद कर दिया गया है और यही कारण है कि उसे अपने पुराने हथियार बेचने और नए हथियार खरीदने की आवश्यकता है। हालाँकि, कारण बताओ नोटिस के जवाब में, उन्होंने गलत तर्क दिया कि उन्होंने कभी भी किसी विदेशी देश से कोई खरीदारी नहीं की, क्योंकि रिकॉर्ड में यह दिखाने के लिए सामग्री है कि उन्होंने कम से कम

26 बार आग्नेयास्त्र, कारतूस आदि का आयात किया था।

15. शस्त्र अधिनियम, 1959 हथियारों और गोला-बारूद से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ता ने आवेदन किया और उसे अधिनियम की धारा 17 के अनुसार लाइसेंस प्रदान किया गया। अधिनियम की धारा 17 की उप-एफ धारा (3) के खंड (डी) में प्रावधान है कि यदि लाइसेंस की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया है, तो उसे या तो एक विशेष अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है या रद्द/रद्द किया जा सकता है। उन्हें शस्त्र नियम, 1962 की अनुसूची III के फॉर्म III के अनुसार लाइसेंस प्रदान किया गया था, जो खेल/सुरक्षा/प्रदर्शन/फसल सुरक्षा और संपत्ति संरक्षण के लिए हथियारों या गोला-बारूद के अधिग्रहण, कब्जे और ले जाने के उद्देश्य से है। हालाँकि, उक्त अनुसूची के फॉर्म XII और XIII में लाइसेंस कुछ श्रेणियों के हथियारों और गोला-बारूद के भंडारण, बिक्री और हस्तांतरण के प्रयोजनों के लिए दिए जाते हैं।

16. केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 41 और 44 द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए शस्त्र नियम, 1962 के नाम से ज्ञात नियम बनाए। उक्त नियमों की अनुसूची III की शर्तों के अनुसार, लाइसेंस 22 अलग-अलग रूपों में और उसमें निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दिए जाते हैं।

निर्विवाद रूप से, फॉर्म III के तहत लाइसेंस का अनुदान स्व-उपयोग के उद्देश्य से है। अपीलकर्ता ने स्वयं तर्क दिया है कि उसका इरादा एक खिलाड़ी के रूप में हथियारों और गोला-बारूद का उपयोग करने का था।

17. इसमें किसी भी प्रकार का संदेह या विवाद नहीं हो सकता कि किसी लाइसेंसधारी द्वारा हथियारों और गोला-बारूद की बिक्री और खरीद निषिद्ध नहीं है। लेकिन उक्त अधिनियम के प्रावधानों और उस उद्देश्य, और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए अलग-अलग उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के लाइसेंस दिए जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक लाइसेंसधारी को अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसे वह सीधे नहीं कर सकता है।

18. जहां तक ,इस तर्क का संबंध है कि अपीलकर्ता सप्रेशनियो वेरी और सजेस्टियो फाल्सी का दोषी था, हम ध्यान दे सकते हैं कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी (5 वां संस्करण) सजेस्टियो फाल्सी को इस प्रकार परिभाषित करता है, 'जो गलत है उसका सुझाव या प्रतिनिधित्व; गलत प्रतिनिधित्व. किसी विलेख में यह दोहराना कि वसीयत को विधिवत निष्पादित किया गया था, जबकि ऐसा नहीं किया गया था, यह गलत है; और वारिस से यह छिपाना कि वसीयत विधिवत निष्पादित नहीं की गई थी, दमनकारी है। मात्र चूक या लापरवाही से सप्रेसियो वेरी और सजेस्टियो मिथ्या का जानबूझकर किया गया कार्य नहीं माना जाएगा। हालाँकि यह बहुत सटीक

या उपयुक्त नहीं हो सकता है, लेकिन सत्य को दबाना छिपाना होगा, गलत विवरण देना गलत विवरण देना होगा। [देखें: दिलीप एन. श्रॉफ बनाम संयुक्त आयकर आयुक्त, मुंबई (2007) 6 एससीसी 329 पैरा 71]।

हमने यहां पहले देखा है कि अपीलकर्ता के पास लाइसेंस रहने की अवधि के दौरान उसने कम से कम 39 बार हथियार बेचे। अपने कारण बताओ और विशेष अनुमति याचिका के आधार 'जी' में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया था कि उसनें हथियार केवल एक बार आयात किया है। दरअसल, उसने कम से कम 26 मौकों पर हथियारों का आयात किया था। इसलिए, हमारी राय में, वह सप्रेसियो वेरी का दोषी है और साथ ही सजेस्टियो फाल्सी का भी।

19. अधिनियम के तहत लाइसेंस विशिष्ट बी उद्देश्यों के लिए दिए गए हैं। अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में कहा गया है कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी समय तीन से अधिक आग्नेयास्त्र अपने पास नहीं रख सकता या ले जा सकता है। जैसा कि यहां पहले बताया गया है, 25 जून 1982 की उपरोक्त अधिसूचना के कारण, केवल कुछ श्रेणियों के खिलाड़ियों को शूटिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेने के उद्देश्य से तीन से अधिक आग्नेयास्त्र प्राप्त करने और रखने की अनुमति दी गई थी। अपीलकर्ता के पास दो अलग-अलग लाइसेंसों के तहत छह हथियार थे, प्रत्येक श्रेणी में तीन। निर्विवाद

रूप से उन्हें खेल शूटिंग के उद्देश्य से निषिद्ध श्रेणी में से एक सहित पांच राइफल और चार रिवॉल्वर रखने की अनुमति दी गई थी।

20. रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि अपीलकर्ता ने बड़ी संख्या में एयर राइफल और एयर पिस्तौल का आयात किया था, हालांकि वह उक्त हथियारों के उपयोग की आवश्यकता वाली घटनाओं में भाग नहीं ले रहा था। यही हाल उन खिलौनों के हथियारों का भी है जो एक खिलाड़ी के रूप में उनके किसी काम के नहीं थे।

21. यह सच हो सकता है कि अपीलकर्ता ने तीसरे पक्ष के पक्ष में हथियार हस्तांतरित करने से पहले अनुमति प्राप्त की थी, लेकिन निर्विवाद रूप से, क्योंकि उसने बड़ी संख्या में लेनदेन में प्रवेश किया था, लाइसेंसिंग प्राधिकारी यह अनुमान लगाने का हकदार था कि उसके पास वास्तव में क्या था वह अपने स्वयं के उपयोग के लिए उसे नहीं खरीद रहा था जो कि लाइसेंस देने के लिए अनिवार्य शर्त थी।

उपर्युक्त चार्ट से यह प्रतीत होता है कि उसने बड़ी संख्या में अवसरों पर खरीद के कुछ दिनों के बाद ही हथियार बेच दिए थे। इसलिए, हमारे लिए श्री दवे के इस तर्क को समझना मुश्किल है कि अपीलकर्ता को हथियार केवल इसलिए बेचने पड़े क्योंकि अभ्यास के दौरान उसने पाया कि हथियारों की सटीकता का स्तर खराब हो गया था। इस मामले का एक और पहलू है जिसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह कहना एक

बात हो सकती है कि वह उन कंपनियों द्वारा निर्मित हथियार खरीद रहा था जिनके लिए उसके पास संबंधित हथियारों की प्रभावकारिता का परीक्षण करने का कोई अवसर नहीं था, यहां तक कि अपीलकर्ता के अनुसार वह सेकेंड हैंड हथियार खरीद रहा था। सेकेंड हैंड हथियारों का लेन-देन करने से पहले यह अपेक्षा की जाती है कि खरीददार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानियां बरतेगा कि वह उसके लिए उपयोगी होगा।

22. इसलिए, लेन-देन की आवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि वैधानिक अधिकारियों द्वारा लाइसेंस रद्द करने के आदेश पारित करना उचित था।

23. आमतौर पर इस प्रकृति के मामले में, हम मामले को लाइसेंसिंग प्राधिकारी को वापस भेज देंगे ताकि अपीलकर्ता लेनदेन के संबंध में अपनी सद्भावना के संबंध में इसे संतुष्ट कर सके, लेकिन, विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और इस मामले की परिस्थितियों के अनुसार, हमारी राय है कि यह एक निरर्थक प्रयास होगा। जैसा कि सर्वविदित है, यह न्यायालय ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेगा जो केवल बेकार औपचारिकताओं का पालन करने के लिए एक वैधानिक प्राधिकारी बन जाएगा। हालाँकि, अपीलीय प्राधिकारी से इस प्रश्न पर विचार करने का अनुरोध करेगा कि क्या अपीलकर्ता को, एक खिलाड़ी होने के नाते, कोई लाइसेंस दिया जा सकता है ताकि वह खेल गतिविधियों को करने में सक्षम

हो सके। ऐसा लाइसेंस ऐसे क्षेत्र और शर्तों पर दिया जा सकता है जो कानून में स्वीकार्य हैं, बशर्ते कि आवेदन कानून के अनुसार किया गया हो।

24. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ अपील खारिज की जाती है। खर्चे के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं।

जी.एन. अपील ख़ारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता सें अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह जाखड़ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझानें के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उदेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्य के लिये,निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य सें भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।